

6-1-20

प्रभावली में ही इहाँ जमीनदार के अधिवक्ता पूर्व  
के लडा लार अनुपस्थित रहे हैं एवं जाल भी  
अनुपस्थित रहे हैं। जमीनदार के अधिवक्ता  
को जाल न्यायालय में उपस्थित होने हेतु न्यायालय  
दफा की कोर में आवारे लाया जाई परन्तु वे  
व भी उपस्थित हुए और न ही जमीनदार उपस्थित  
इहाँ देखे में जमीन प्रभावली को और विचारार्थी न  
रहा जाल उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः जमीन  
जमीनदार के अधिवक्ता को अनुपस्थित के अर्थ दफा  
अधिवक्ता उपस्थित के लडा लार है। अतः सं. 1/2 के  
में का की जावे। अतः न्यायालय का मूल्य देना  
अधिवक्ता की प्रति सहित लेना जावे।